



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/15/2024-25/701

दिनांक: 25 सितम्बर 2025

चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश तथा अभिलेख सत्यापन कलैण्डर।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०/15/2024-25/749, दिनांक 19 अक्टूबर 2024 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग तीन गुना (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) से दिनांक 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) तक प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून में आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत अभिलेख सत्यापन तिथि हेतु इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' का अवलोकन करें।

नोट— अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। बिना प्रवेश पत्र एवं वैध आईडी0 (मूल रुप में) के अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन स्थल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें:-

- फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त 73 पदों के सापेक्ष आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणियों के रिक्त पदों की संख्या से लगभग तीन गुना अभ्यर्थियों को (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) आवेदन पत्रों से प्राप्त डाटा के अनुसार वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित किये जाने से कदाचित यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन किया गया है।
- अभिलेख सत्यापन के उपरान्त ही रिक्त 73 पदों के सापेक्ष वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।
- अभिलेख सत्यापन के समय यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित अर्हता से सम्बन्धित मूल अभिलेख, डिप्लोमा कोर्स की सभी अंकतालिकाएं, वैध जाति प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को वैध), उत्तराखण्ड फार्मसी काउंसिल/उत्तराखण्ड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में स्थाई रुप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, (जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 से पूर्व जारी किया गया हो तथा जैसा कि आवेदन पत्र में अंकित किया गया हो) एवं अन्य वांछित अभिलेख जिनका उल्लेख प्रवेश पत्र के साथ संलग्न तालिका 'क' में किया गया है, प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

- पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/20709 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो कि आवेदन पत्र जमा करने अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया गया हो, अभिलेख सत्यापन दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थी यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे सम्बन्धी आरक्षण देय नहीं होगा।
- कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को कॉमनवैल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में पदक विजेता या प्रतिभाग किये गये सम्बन्ध में जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बोर्ड के समक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें फार्मासिस्ट (भेषज) परीक्षा- 2024 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत) में अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या 2511/2024 (एस0एस0) ओम प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 2452/2024 (एस0एस0) विनोद कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम आदेशों के अनुपालन में याचीगणों को प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।
- **अभ्यर्थी को निम्नलिखित तथ्यों के कारण अनर्ह घोषित किया जा सकता है:-**
 1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिस पद हेतु दावा किया है, वह उसी पद हेतु वांछित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता/करती हो। यदि किसी अभ्यर्थी ने डिप्लोमा किया गया है और बी.फार्मा. डिग्री धारक है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
 01. पूर्व में विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “अभ्यर्थी के पास स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। **यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।**” अभ्यर्थी के पंजीकरण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि:-
 - I. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड के पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नम्बर) से भिन्न पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती/करता है तो उन्हें अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।
 - II. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड का स्थाई/नवीनीकृत (Permanent/Renewed) पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (15 जनवरी 2025) को वैध होना अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड का स्थाई/नवीनीकृत (Permanent/Renewed) पंजीकरण प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

- III. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करते समय स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड में पंजीकरण हेतु आवेदन किया हो एवं उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में रसीद संख्या अंकित की गई है और रसीद सलग्न की गई हो तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उन्हें अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।
 - IV. यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लेख किये गये स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड का स्थाई/नवीनीकृत (Permanent/Renewed) पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।
 - V. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड के पंजीकरण प्रमाण पत्र को वर्तमान में किसी अन्य राज्य में स्थान्तरित (Transfer) कर दिया गया है और वे आवेदन पत्र में उल्लिखित स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण मूल में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन स्थल पर अनर्ह घोषित किया जायेगा तथा उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आरक्षण यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का दावा किया गया है और वे आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वरीयता सूची में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सम्मिलित हो रहे हों, जैसे कि आयु में लाभ, वरीयता क्रम में लाभ इत्यादि, अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि वैध वांछित अभिलेख मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें अभिलेख सत्यापन दिवस में अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
 3. ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो वरीयता क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान पाते हैं उनका अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 15 जनवरी 2025 (ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि) तक वैध होना अनिवार्य है। नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 03 साल है।
 4. ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो वरीयता क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में स्थान पाते हैं उनका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र वैध होना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 01 साल होती है, परन्तु पूर्व में यह देखा गया है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र छः माह हेतु भी जारी किये गये हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय के आधार पर वर्ष 2024-25 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
 5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उपश्रेणी यथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक दिव्यांगजन, कुशल खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित तथा के आरक्षण का दावा किया है तथा वे यदि अभिलेख सत्यापन दिवस में सम्बन्धित उपश्रेणी के दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को उपश्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इन अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी के आधार पर उनकी वरीयता सूची में उस स्थान पर रखा जायेगा जहां पर वे पूर्व में उनकी श्रेणी के अनुसार स्थान पाते हों। उत्तराखण्ड महिला तथा अन्य उपश्रेणी दावित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य को स्थाई निवास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सम्बन्धित विभाग द्वारा फार्मासिस्ट पद हेतु OL (One Leg Affected) एवं Dw (Dwarfism) दिव्यांगता का चिह्निकरण किया गया है। दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी यदि OL (One Leg Affected) एवं Dw (Dwarfism) से भिन्न किसी अन्य श्रेणी की दिव्यांगता श्रेणी में हो तो उन्हें दिव्यांगजन का आरक्षण देय नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र में अंकित किये गये दावों से भिन्न किसी भी दावे पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र तथा मूल अभिलेख में डिप्लोमा के प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों यथा अंकपत्रों तथा डिप्लोमा प्रमाण पत्र के अनुसार उनके कुल प्राप्तांकों तथा उत्तीर्ण वर्ष में सत्यापन पटल के नामित अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा ही संशोधित प्राप्तांक तथा उत्तीर्ण वर्ष अंकित किया जा सकता है और अभ्यर्थी द्वारा किये गये संशोधन को स्वप्रमाणित भी किया जायेगा।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगे:-

1. अभिलेख सत्यापन हेतु जारी किया गया औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति (अनिवार्य)
2. फार्मासिस्ट (भेषज) परीक्षा- 2024 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत) के ऑनलाईन आवेदन पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
3. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (अनिवार्य)
4. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
6. इण्टरमिडिएट अंकपत्र (अंकतालिका)- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
7. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
8. डिप्लोमा फार्मासिस्ट के प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र/अंकतालिका- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
9. डिप्लोमा फार्मासिस्ट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
10. स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड पंजीकरण का वैध/नवीनीकृत प्रमाण पत्र - 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
12. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो) - 02 स्वप्रमाणित प्रति
13. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
14. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया हो)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे/कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) - 02 स्वप्रमाणित प्रति।

16. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।— 02 स्वप्रमाणित प्रति।
18. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)
19. रिट याचिका संख्या 2029/2016(एस0एस0) रंजन कुमार पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.12.2016 "In view thereof, it is directed that the counselling the respondent authority shall take an undertaking from all the candidates that they are not appointed as pharmacist in Uttarakhand Government Department either in the Allopathy or in the Veterinary Department" का नोटराइज शपथ पत्र (अनिवार्य)
20. वैध आई-डी यथा आधार कार्ड/पैन कार्ड/लाइसेंस/वोटर कार्ड/पासपोर्ट।

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग-अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग-अलग सैट क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है।

अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी भ्रामक/तथ्यहीन/झूठी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार ना करें।

संलग्नक:यथोपरि।

ह0/—
(प्रदीप जोशी)
सचिव
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

फार्मासिस्ट (राजकीय मेडिकल कॉलेजों) पद हेतु तिथिवार अभिलेख सत्यापन कलैण्डर

क्र० सं०	डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी-उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यर्थी तथा अनुक्रमांक
1.	2000	समस्त श्रेणी-उपश्रेणी	अभिलेख सत्यापन की तिथि- दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) अभ्यर्थियों की संख्या- 90 अनुक्रमांक- 9250601001 से 9250601090 तक
2.	2001	समस्त श्रेणी-उपश्रेणी	
3.	2002	समस्त श्रेणी-उपश्रेणी	
4.	2003	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत मात्र उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
5.	2004	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत मात्र उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
6.	2004	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत मात्र उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी के अभ्यर्थी	अभिलेख सत्यापन की तिथि- दिनांक 07 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) अभ्यर्थियों की संख्या- 90 अनुक्रमांक- 9250601091 से 9250601180 तक
7.	2005	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत मात्र उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला तथा दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
8.	2005	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत मात्र उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला तथा दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी	
9.	2006	अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला तथा उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थी, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	अभिलेख सत्यापन की तिथि- दिनांक 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) अभ्यर्थियों की संख्या- 73 अनुक्रमांक- 9250601181 से 9250601253 तक
10.	2007	अनुसूचित जनजाति श्रेणी-उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति-पूर्व सैनिक, अनारक्षित- दिव्यांगजन उपश्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी के अभ्यर्थी, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थी।।	
11.	2008	अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी के अभ्यर्थी, एवं अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत मात्र भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	
12.	2009	अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत मात्र भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	

क्र० सं०	डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष (ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार)	श्रेणी-उपश्रेणी (ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुसार)	तिथिवार कुल अभ्यर्थी तथा अनुक्रमांक
13.	2010	समस्त श्रेणियों के मात्र भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	
14.	वर्ष 2022 तक	समस्त श्रेणियों के मात्र भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे, एवं कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	
15.	2023	समस्त श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिक उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	

नोट-

- फार्मासिस्ट (राजकीय मेडिकल कॉलेजों) के अन्तर्गत सम्मिलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष त्रुटिवश गलत अंकित कर दिया हो और उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, अभिलेखित पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 09 अक्टूबर 2005 (वृहस्पतिवार) को कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- रिट याचिका संख्या 2511/2024 (एस0एस0) ओम प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 2452/2024 (एस0एस0) विनोद कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम आदेशों के अनुपालन में याचीगणों को प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।
- प्रवेश पत्र मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को जारी किया जायेगा जो उपरोक्तानुसार श्रेणी-उपश्रेणी के अनुसार उत्तीर्ण वर्ष धारित करता हो या उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। अनुक्रमांक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर उल्लेख होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे।